संख्या-22/2018/क0नि0-4-392/11-2018-300(28)/17

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर ,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांकः 09 मई, 2018**

विषयः-वाणिज्य कर विभाग में क्रियाशील 117 सिस्टम इन्टीग्रेटर के वित्तीय वर्ष-2018-19 हेतु पारिश्रमिक के भुगतान की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आई0टी0-सिस्टम इन्टीग्रेटर/(2018-19)/05/वाणिज्य कर, दिनाँक-03अप्रैल, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्वश्री ट्राईमैक्स आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज़ लिमिटेड, मुंबई के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग में क्रियाशील 117 सिस्टम इन्टीग्रेटर के (माह मार्च, 2018 से फरवरी, 2019 तक) पारिश्रमिक के भुगतान हेतु मासिक बिल के आधार पर धनराशि रूपये-6.00 करोड़ (रूपये-छः करोड़ मात्र) के व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त 117 सिस्टम इन्टीग्रेटर से सेवा लिये जाने तक समूह 'ग' के उतने ही पद अस्थगित रखे जायेंगे।

2- उक्त व्यय, वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय की मानक मद संख्या-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-22/2018/क0नि0-4-392 (i) /11-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहबाद।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in